



# पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फैक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक 3309 / अका. / सम्बद्धता / 2015

रायपुर, दिनांक : 15 / 04 / 2015

## ॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 09.02.2015 की अनुशंसानुसार एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 22.03.2015 के निर्णयानुसार नवीन शासकीय महाविद्यालय मगरलोड, जिला-धमतरी को दर्शित कक्षा/विषय एवं सत्र के लिए अस्थाई सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है :-

क्र.	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
1.	B.Sc. -III - (F.C.-Hindi & English, Env. Studies, Chemistry, Botany, Zoology,)	60	2014-15
2.	B.A. -III - (F.C.-Hindi & English, Env. St., Geography, Sociology, History)	60	
3.	B.Com. -III Compulsory Subject, Env.Sc.	60	

शर्तें :-

- छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
- समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
- जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

आदेशानुसार,

उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक 3310 / अका. / सम्बद्धता / 2015  
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक : 15 / 04 / 2015

- आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
- संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
- संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को।
- संचालक, शारीरिक शिक्षा,
- स.कु.स. परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/उ.कु.स. गोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास,
- अध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला को इस निवेदन के साथ की इसे विश्वविद्यालय के वेबसाईट में सूचनार्थ Up-Load करें।
- कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक,
- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

विरिष्ट अधीक्षक (अका.)

भाग - ८

भाग 'अ' में दी गई जानकारी के सत्यापन के बाद निरीक्षण संमिति द्वारा भरा जाए।  
संमिति का बिंदवार प्रतिवेदन।

प्रस्तावित पाठ्यक्रम के संचालन के लिए निरीक्षण सामात का बिदुपार ग्राहन। [निरीक्षण में अनशंसा न की जाए अपितु पात्रता/अपात्रता का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। कमियों का देविता सर्व के लिए भूमध्य किया जा सके।]

[प्रतिवेदन में अनुशंसा न की जाए अपितु पात्रता/अपात्रता का रूप स्थापित किया जा सके।] स्पष्ट उल्लेख किया जाए जिन्हें सम्बद्धता के लिए शर्त के रूप में मान्य किया जा सके।

रायपुर दि. 17. 11. 2014 के परिपालन में जारी हुए  
— उत्तरी (का. ग.) के आज दि.

महारिद्यालय, प्रगल्भोड जिला - कर्मसूरा (का. ०१) ।  
२०-१-२०१५ को नियुक्ति क्रियादर्थीय समिति ने निरीक्षण  
किया। इन्हालय में पुस्तके कम होने वाले के पास कार्बन  
से बनवा जनभागीदारी भव-खेल यथा शैला और पुस्तके काय की  
जाके। महारिद्यालय-वर्षभार ये राख। पुस्तक शैला के पास ७५० में संचालित  
है। अब त्रिमांगार्थीत है। लि. १५-लि. ३३ त्रिमांगार्थीत है। शास. मधा. दुर्लभ होने की संभावना  
है। अब त्रिमांगार्थीत है। लि. १५-लि. ३३ त्रिमांगार्थीत है। शास. मधा. दुर्लभ होने की संभावना  
है।

निरीक्षण समिति के संयोजन का नाम एवं  
हस्ताक्षरण

→ 4. 10. 2009 Anne han.  
— 20115

## निरीक्षण दल के सदस्यों के हस्ताक्षर - नाम - पता

— ଶ୍ରୀମତୀ ପାତ୍ନୀ

卷之三

## विषय विशेषज्ञ / विशेषज्ञों के हस्ताक्षर एवं नाम-पता

१०० अ०८८० तिराची

20-2-25

दिनांक १९/०१/२०१५

प्रति

कुलसचिव,  
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,  
रायपुर (छ.ग.)

- 1 -

महाराष्ट्र विधान सभा